माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा की अध्यक्षता मे दिनाक 08.10.2017 को प्रातः 9:30 बजे जिला लोक परिवाद समिति की हुई मासिक बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

क्र0 स0	विभाग का नाम परिवादी का नाम	विभाग से प्राप्त जवाब	रिमार्कस
1	**जिला वन, अधिकारी गुरूग्राम, CMOFF/N/2016/068243 स्मरण पत्र न0 1110/परिवाद दिनाक 03.10.2017 (श्रीकांत गांव बादशाहपुर दरबारीपुर रोड नजदीक माता मंदिर गुरूग्राम जिला गुरूग्राम हरियाणा । मो0 न0 9899002626)** **शिकायतकर्ता की शिकायत है कि** गांव फाजीलपुर घसौला में गैर मुमकिन बांध पर स्पेज आई0टी0 और स्पेज शॉपर स्टॉप नामक कम्पनियों द्वारा अवैध निर्माण करने के कारण बारिश के पानी की कोई निकासी नही है व बांध के एक तरफ तार बांध कर आम आदमी का रास्ता रोका हुआ है । यह बांध वन विभाग के अन्तर्गत आता है । अतः वन विभाग से निवेदन है कि समस्या का निदान किया जाये । दिनांक 13.12.2016 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मामले में नियमानुसार जिला वन अधिकारी को कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए । दिनाक 02.07.2017 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को लंम्बित रखते हुऐ आदेश दिये कि बांध मे पानी के निकासी तथा रास्ते को रोकने के बारे कम्पनी ने जो कार्यवाही की है उसे हटवाया जाये तथा नवीनतम स्थिति अगली बैठक मे प्रस्तुत की जाये।	उप वन संरक्षक, गुरूग्राम ने अपने पत्र कंमाक 1956 दिनाक 06.10.2017 द्वारा सुचित किया है कि अवैध कब्जा हटवाने बारे नियुक्त किये गये डयूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता मे Spaze (IT) कम्पनी द्वारा किये गये अतिकमण को दिनांक 06.10.2017 को हटवा दिया गया है	शिकायतकर्ता हाजिर आया । अध्यक्ष महोदय ने विभागीय टिप्पणी व परिवादी को सुनने के पश्चात परिवाद को लम्बित रखते हुये निर्देश दिये कि जगह की डिमार्केशन दस दिन मे करवाकर नाजायज कब्जा हटवा दिया जाए ।
2	**आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम पत्र कमाक 26/परिवाद दिनाक 16.05.2017, व 1112 /परिवाद दिनाक 03.10.2017** **श्री जयनारायण ,धर्मसिह, ज्ञानसिह तिगरा** **शिकायतकर्ता ने शिकायत की** है कि गांव तिगरा मे नगर निगम की रोड जो कि 40 फूट चौडी है जो समसपुर की तरफ से बी.पी.टी.पी. की तरफ से आती है उस पर कुछ लोगो ने दुकाने बनाकर कब्जा कर लिया है तथा सब्जी मण्डी लगाते है। रोड केवल 10 फूट रह गया है जिससे रास्ता व रोड जाम रहता है सारा गांव परेशान है पुलिस की जीप आकर हर स्ताह उनसे	अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त, गुरूग्राम ने सुचित किया है कि शिकायत मे वर्णित गावं तिगरा की 40 फुट चौडी सडक पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बनाई गई 12 दुकानो को पुलिस सहायता लेकर तुडवा दिया गया है ।	परिवादी हाजिर नही आया। अध्यक्ष महोदय ने विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट होते हुये परिवाद को फाईल करने के निर्देश दिये।

	उगाही करती है। इसी तरह से नगर निगम के कर्मचारी भी इनसे पैसा वसुलते है और इन्हे कुछ नही कहते और लाखो रूपये महीना रिश्वत के लेते है। रोड पर दुकानो के आगे कुछ लोगो ने टीन भी लगा कर रोड छोटा कर दिया है उन्हे भी हटाया जाये।दिनाक 02.07.2017 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को लंम्बित रखते हुऐ आदेश दिये कि इस पर कार्यवाही नगर निगम गुरूग्राम करवाये तथा नवीनतम रिर्पोट अगली बैठक मे प्रस्तुत की जाये।		
3	**उप महाप्रबन्धक एच0 एस0आई0डी0सी0 गुरूग्राम CMOFF/N /2017/016678 व कंमक 1118/परिवाद दिनाक 03.10.2017** **(श्री रविन्द्र यादव पार्षद,नगर निगम गुरूग्राम मोबाईल नम्बर – 9899600024)** **शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि** पास्को आटो मोबाईल व इसके साथ लगती अन्य कई कम्पनियां जो कि ओल्ड दिल्ली रोड सैक्टर – 18 में स्थित है द्वारा ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से पर्किंग बनाकर प्रयोग की जा रही है अतः महोदय से अनुरोध है कि इन कम्पनियों बारे आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा इस पर्किंग को हटवाकर ग्रीन बेल्ट को मुक्त करवाया जाये। दिनाक 02.07.2017 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को लंम्बित रखते हुऐ आदेश दिये कि ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा वृक्ष लगवाये जाये तथा नवीनतम रिर्पोट अगली बैठक मे प्रस्तुत की जाये।	Estate Manager, HSIIDC, Udhyog Vihar, Gurugram has intimated vide letter no- HSIIDC/3807 dated 06-10-2017 that in complance of Hon'ble CM's orders, 106 new trees have been planted in the said green belt.Now there are a total of 203 trees in this green belt of area covering 1.55 acres . The detail of the trees planted in this belt is placed at annexure "A" along with the layout of green belt placed as Annexure "B"	परिवादी हाजिर नही आया । विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट होते हुऐ परिवाद को फाईल करने के निर्देश दिये।
4	**पुलिस आयुक्त गुरूग्राम पत्र कमाकं 782/परिवाद दिनाक 20.07.2017 व 1114/परिवाद दिनाक 03.10.2017** **(श्री भवानी शंकर शर्मा कार्यकारी अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली मो0 9811240059)** **शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि** उसकी गांव रानीका सिंघोला तहसील सोहना जिला गुरूग्राम मे वाटिका फार्म न0 266 प्रापर्टी है और उसका प्राईवेट न0 सी0 292ए है। इस प्रोपर्टी पर रिटोच, रानीका सिंघोला गुरूग्राम के तीन आदमी जिनके नाम सुरेन्द्र खटाना, बलवान सिंह खटाना, पुत्रान श्रीराम काला और हरस्वरूप खटाना सुपुत्र संतराम खटाना ने लगभग तीन साल पहले अतिक्रमण कर लिया जबकि सारी प्रापर्टी के कागजात उनके	पुलिस उपायुक्त दक्षिण, गुरूग्राम ने अपने पत्र कंमाक 1531/पी.डी./डी.सी.पी./दक्षिण दिनाक 07.10.2017 द्वारा सूचित किया कि इस बिन्दु की जांच थाना प्रबन्धक सोहना द्वारा कराई गई। रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि रजिस्ट्री नम्बर 1976 दिनाक 24.08.2004 को मुस्तकील नम्बर 24 का किला न 19 (8–0) 21 (8–0) 22(8–0) मुस्तील नम्बर 27 का किला न0 1 का (2–13) 2 (8–0) का 160/693 भाग कुल रकबा 8 कनाल मौजा वाका गावं रानी का सिंगोला मे श्रीमति यशं भांगरा इत्यादि से खरीदा था। दिनाक 19.08.2009 को परिवादी द्वारा अपनी जमीन का हिस्सा अलग कराया गया जिसमे परिवादी को मुस्तकील न0 24 का किला न0 21 अलाट किया गया । परिवाद की	परिवादी हाजिर आया । विभागीय टिप्पणी के अवलोकन के पश्चात परिवाद को लम्बित रखते हुये अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि परिवादी को कब्जा दिलाने के लिए अगली तिथि निश्चित करके उन्हे सुचित किया जाये और कब्जा शीध्र दिलाया जाये।